उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 07.07.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में प्रभारी यातायात द्वारा चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान, वाहन चालकों को पढाया यातायात नियमों का पाठ...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने व यातायात व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने के उद्देश्य से निरन्तर सघन चेकिंग/जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 07.07.2024 को प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा विशेष अभियान के तहत यातायात पुलिस टीम द्वारा जनपद के विभिन्न स्थलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया साथ ही दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु बिना हेलमेट/शीटबेल्ट लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध अभियान चलाया गया व दुर्घटना से बचाव हेतु हेलमेट/शीटबेल्ट के महत्व को बताते हुए यातायात नियमों का पाठ पढाया गया।

इसी क्रम में शहर के मुख्य स्थानों पर काली फिल्म, हूटर, दोषपूर्ण नम्बर प्लेट, हेलमेट, सीट बेल्ट की चेकिंग की गई एवं चालान किए गए। यातायात पुलिस टीम द्वारा आमजनमानस/वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक करते हुए सभी को यातायात नियमों का पालन किये जाने की अपील की जा रही है, जिससे जनपद महोबा में सड़क दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सके।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत कम्यूनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु शक्ति दीदी (महिला बीट एवं महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद में विभिन्न स्थानों पर संचालित कराये गये आउटरीच प्रोग्राम। नये कानूनों में महिलाओं को प्रदान किये गये अधिकारों की भी दी गई जानकारी...।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज दिनांक 07.07.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में शक्ति दीदी (महिला बीट तथा महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद के समस्त थानों पर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत आबादी क्षेत्र, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, मेलों एवं गांव में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं यथा- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बैकिंग कॉरस्पोडेंट सखी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व राष्ट्रीय पोषण मिशन के संबंध मे विस्तृत जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त उनके साथ किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर उनकी सहायतार्थ नये कानूनों में महिला सम्बन्धी अपराधों के प्रति उनके अधिकारों की भी जानकारी प्रदान की गयी है साथ ही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090,1098 की जानकारी व उनके प्रयोग के बारे में विस्तृत रुप से बताया गया एवं साइबर अपराध होने पर साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये जाने के बारे में भी बताते हुए जागरुक किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 07.07.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान पीडितों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया, प्राप्त जन समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित को दिये आवश्यक निर्देश-

आज दिनांक 07.07.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी। जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना जा रहा है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं को लेकर आये उन सभी की समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाये जाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में सभी अधीनस्थों को निर्देशित किया गया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर पर हो सकता है उन सभी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण थाना स्तर पर ही कराना सुनिश्चित किया जाये किसी भी फरियादी को परेशान न किया जाये; सभी से सम्मान पूर्वक बर्ताव किया जाये, निर्देशित किया गया कि घटना की तथ्यात्मक जानकारी करते हुये गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये याद रखे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिये, किसी भी पीड़ित से गलत व्यवहार की सूचना प्राप्त होने पर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी ।

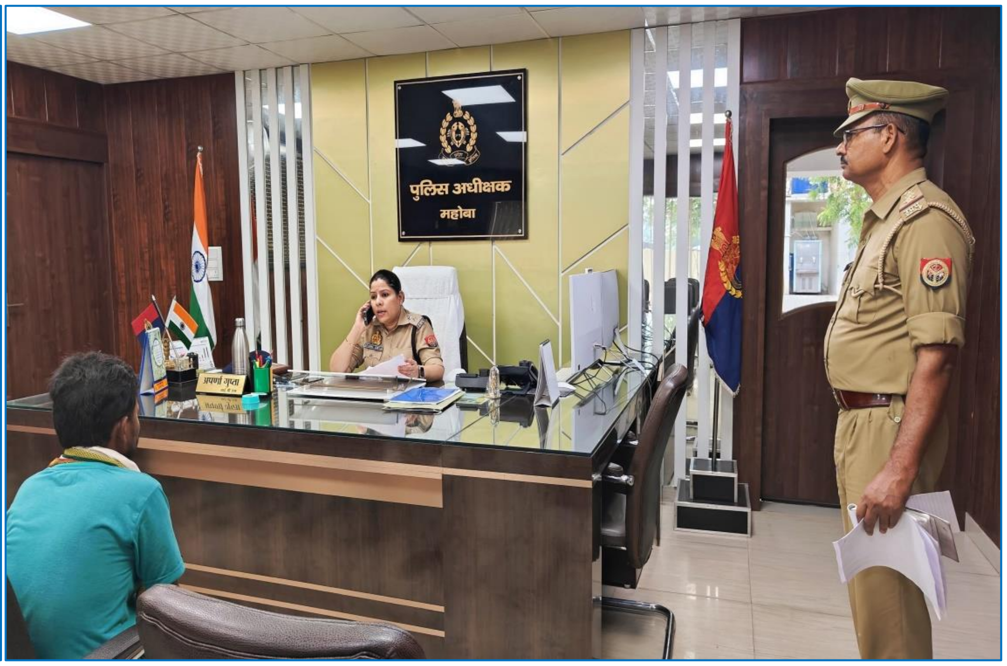

थाना अजनर की पुलिस टीम ने
02 नफर अभियुक्तों को मय चोरी किये गये माल व अवैध तमंचा/कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 06.07.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित टीम के उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0 124/24 धारा 457/380/411 भादवि0 से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1. रामपाल लोहार पुत्र रतन उम्र करीब 30 वर्ष 2. बहादुर लोहार पुत्र रतन उम्र करीब 35 वर्ष निवासीगण ग्राम इन्द्रहटा थाना अजनर जनपद महोबा को नौगाँव रोड पर ग्राम नगाराडांग तिगैला पर बने यात्री प्रतिक्षालय से मय चोरी हुए माल एक अदद घरेलू रसोई सिलेण्डर व एक अदद हाथ सिलाई मशीन के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त रामपाल उपरोक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ । उपरोक्त अवैध शस्त्र की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त रामपाल लोहार उपरोक्त के विरुद्ध मु.अ.सं. 126/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. रामपाल लोहार पुत्र रतन उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम इन्द्रहटा थाना अजनर जनपद महोबा
2. बहादुर लोहार पुत्र रतन उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम इन्द्रहटा थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी
2. म0उ0नि0 शिल्पी राजपूत

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 07.07.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल, चौकी प्रभारी सुभाष के नेतृत्व में पुलिस टीम ने माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा से निर्गत वारण्ट मु0सं0 - 422/23 धारा 307/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त वहीद अली पुत्र शब्बीर निवासी शेखनपुरा उम्र 48 वर्ष थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को कीरत सागर पर आल्हा मंच के पास महोबा से गिरफ्तार किया है इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज की बरामदगी की गयी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी व कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0- 337/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त विवरणः-

वहीद अली पुत्र शब्बीर निवासी शेखनपुरा उम्र 48 वर्ष थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल प्रभारी चौकी सुभाष थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
2. कां0 उपेन्द्र कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 07.07.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों को एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

01 जुलाई 2024 से प्रभावी हो चुके नवीन आपराधिक विधियों यथा भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 व नवीन अन्य अधिनियमों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण व विस्तृत जानकारी प्रदान करने हेतु आज दिनांक 07.07.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री सत्यम की अध्यक्षता में श्री कृष्णपाल सिंह, अभियोजन अधिकारी महोबा एवं श्री प्रमोद पालीवाल, विशेष लोक अभियोजक के द्वारा संशोधित नये कानून (भारतीय न्याय संहिता 2023,भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) का प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं कानून की बारीकियों के बारे में विस्तृत चर्चा एवं प्रश्नोत्तर कर विधिक जानकारी से अवगत कराया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार सहित जनपद महोबा के समस्त थाना प्रभारीगण मौजूद रहे।